मौसम
तापमान नई दिल्ली
अधिकतम–15.3 डि.से. सूर्योदय– 7:09
न्यूनतम– 5.4 डि.से. सूर्यास्त– 17:28

आइटीओ बस पड़ाव से मुफ्त वाईफाई की शुरुआत

- दिल्ली में एक साथ शुरू हुए 109 हॉटस्पॉट
- हर सप्ताह 500 हॉटस्पॉट लगाने की तैयारी
- 6 माह में लगेंगे 11 हजार हॉटस्पॉट

यहां से होगी मुफ्त वाईफाई सुविधा की शुरुआत

- कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन
- कश्मीरी गेट आइएसबीटी
- आइटीओ बस स्टैंड
- मंडी हाउस बस स्टैंड
- दिल्ली सचिवालय
- इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन
- दिल्ली विश्वविद्यालय बस स्टैंड
- सराय काले खां बस स्टैंड

२जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 19 दिसंबर।

अब दिल्ली वाले मुफ्त वाईफाई सेवा का प्रयोग कर सकेंगे। गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आइटीओ बस स्टॉप से मुफ्त वाईफाई सेवा की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने इस सेवा के जरिए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली दुनिया का पहला शहर है जहां पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है। आइटीओ से दिल्ली सरकार ने 109 हॉटस्पॉट की शुरुआत की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से दिल्ली को मार्डन वर्ल्ड क्लास शहर बनाने में मदद मिलेगी। देर शाम तक सभी 109 हॉटस्पॉट चालू कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली के विभिन्न इलाकों में 500 हॉटस्पॉट लगाए जाएंगे। सरकार की योजना के मुताबिक आने वाले छह माह में 11 हजार हॉटस्पॉट लगाने का कार्य खत्म किया जाएगा। सरकार की योजना के मुताबिक आम जनता को हर 500 मीटर दूरी पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध होगी। एक अनुमान के मुताबिक 11 हजार हॉटस्पॉट लग जाने के बाद एक समय में 22 लाख लोग एक साथ मुफ्त वाईफाई का इस्तेमाल कर सकेंगे। दिल्ली सरकार एक उपभोक्ता को प्रतिमाह 15 जीबी डाटा मुफ्त देगी।

सरकार की योजना के मुताबिक दिल्ली के चार हजार बस स्टॉप पर वाईफाई हॉटस्पॉट्स लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त सात हजार अन्य जगहों को भी इस सेवा के लिए चिह्नित किया गया है। इनमें स्थानीय नागरिक संगठन, बाजार व अन्य स्थान हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें खुशी है कि शायद भारत के इतिहास में यह पहली सरकार होगी, जिसने चुनाव में जितने वादे किए थे, उन सभी को पूरा किया है। यह आखिरी वादा था, इसे भी दिल्ली सरकार ने पूरा किया है।

रेंज बदलने पर भी नहीं टूटेगा वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन

एक हॉटस्पॉट पर 150 से 200 लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम औसतन 200 यूजर माने और 11 हजार हॉटस्पॉट्स माने तो 22 लाख उपभोक्ता एक साथ इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे।

हॉटस्पॉट्स को आसानी से इस्तेमाल करने के लिए एक ऐप बनाया गया है। इस ऐप को जारी कर दिया जाएगा। उस ऐप के जरिए उपभोक्ता को अपनी केवाइसी का विवरण भरना होगा। केवाइसी भरने के बाद उपभोक्ता के फोन में ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद इंटरनेट का कनेक्शन चालू हो जाएगा।

एक सप्ताह तक अपने हॉटस्पॉट्स के जोन से निकल कर दूसरे के जोन में जाते हैं, तो इंटरनेट डिस्कनेक्ट नहीं होगा, बल्कि दूसरे हॉटस्पॉट्स में जाकर कनेक्ट हो जाएगा। पहले फेज में 11 हजार हॉट स्पॉट्स लगाए जा रहे हैं।

भविष्य में सीसीटीवी कैमरों से भी जोड़े जाएंगे हॉटस्पॉट

दिल्ली में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी भविष्य में मुफ्त वाईफाई सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इससे दिल्ली को और सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। दिल्ली में लगे सीसीटीवी कैमरों व वाईफाई का रखरखाव दिल्ली सरकार ही करेगी। इस पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है।

इण्डियन ओवरसीज बैंक
असेट रिकवरी मैनेजमेंट शाखा
रचना बिल्डिंग, चतुर्थ तल, 2, राजेंद्रा प्लेस, पूसा रोड, नई दिल्ली –110008, फोन न. 011–25758124,
ई मेल : iob1997@iob.in

शुद्धि पत्र

यह **10.12.2019** को **फाइनेंसियल एक्सप्रेस** और **जनसत्ता** में प्रकाशित सूचना के संदर्भ में है, जिसमें दो सुधार निम्नानुसार है:
1. खाता महावीर मेडीवेज सीरियल नंबर: 6 के खाते में बिक्री के समापन के लिए अस्थायी दिनांक और समय 12.12.2019 पूर्वाह्न 11.00 बजे के बजाय **26.12.2019 पूर्वाह्न 11.00 बजे** का समय निर्धारित है।
2. अचल संपत्ति का विवरण: प्रथम तल, बी–77, दयानंद कॉलोनी, लाजपत नगर– IV, नई दिल्ली –110024 के बजाय, **प्रथम तल, बी –77 एम, दयानंद कॉलोनी, लाजपत नगर–IV, नई दिल्ली –110024** पढ़ा जाये।
अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 10.12.2019
प्राधिकृत अधिकारी,
इण्डियन ओवरसीज बैंक

PUBLIC ANNOUNCEMENT

Regulation 31(2) read with Regulation 12(3) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016

FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF ASSOCIATED TRADE LOGISTICS PRIVATE LIMITED – IN LIQUIDATION

Pursuant to Regulation 31 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016 ("Regulations"), Public Announcement is hereby made to all the Stakeholders of the Company that the List of Stakeholders of the Company has been filed with Hon'ble NCLT, New Delhi Bench III, on December 19, 2019.

As there is no functional website of the Corporate Debtor, hence the List of Stakeholders showing complete details of the amount of claims admitted by the Liquidator, including modified amount from time to time, extent up to which the claims are secured/unsecured, details of Stakeholders and proofs admitted/rejected in part and those wholly rejected, if any, can be viewed on the website of the Liquidator, on the following link:
https://www.ilcairp.com/associated-trade-logistics-pvt-ltd/

The Stakeholders are further notified that any modification of entry in the List of Stakeholders, as filed with the Hon'ble NCLT, New Delhi Bench III can be made only by filing an application with the Hon'ble NCLT, New Delhi Bench III and in the manner directed by the Bench.

Sd/-
Shalu Khanna (Liquidator)
M/s. Associated Trade Logistics Pvt. Ltd. – In Liquidation
IBBI Regn. No.: IBBI/IPA-001/IP-P00917/2017-2018/11523
Address: Luthra & Luthra Restructuring and Insolvency Advisors LLP
A-16/9, Vasant Vihar, New Delhi-110 057, India.
Email: atl.rp@llca.net

Date: 19th December, 2019
Place: New Delhi

HDFC
WITH YOU, RIGHT THROUGH

हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.

उत्तरी क्षेत्र कार्यालय : द कैपिटल कोर्ट, मुनिरका, आउटर रिंग रोड, ओलोफ पाल्मे मार्ग, नई दिल्ली–110 067
दूरभाष: 011–41115111, कॉर्पोरेट पहचान संख्या: L70100MH1977PLC019916, वेबसाइट: www.hdfc.com

कब्जा सूचना

चूंकि, **हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारियों ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्ननिर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के अधीन प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन निम्नलिखित कर्जदारों/गारंटरों/कानूनी उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों को एक मांग सूचना जारी की जिसमें उनके नामों के सम्मुख दर्शाई गई राशि और कथित सूचना में दर्शाये गए विवरण के अनुसार लागू दर पर ब्याज तथा भुगतान की तिथि और/या वसूली तक प्रासंगिक व्यय, लागत एवं प्रभार आदि के साथ राशि को कथित मांग सूचना(ओं) की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा गया।

क्र. सं.	कर्जदारों/गारंटरों/कानूनी उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों का नाम/ऋण खाता संख्या	बकाया राशि	मांग सूचना की तिथि	कब्जा करने की तिथि	अचल सम्पत्ति/प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विवरण
1.	श्री फहीम अली एवं श्रीमती हसन फातिमा (कर्जदार) ऋण खाता सं. 622635250	31 जुलाई, 2019* को बकाया रु. 27,78,170/–, (केवल सत्ताईस लाख अठहत्तर हजार एक सौ सत्तर रुपए)	03 सितम्बर, 2019	17 दिसम्बर 2019 (भौतिक)	गांव नूरनगर, राज नगर परगना लोनी गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के खसरा नं. 1010, 1011 और 1012 पर स्थित फ्लैट नं. ई–501, ब्लॉक–ई, चौथी मंजिल, एससीसी सैफायर निचली भूमि पर अविभाजित आनुपातिक हिस्से के साथ।
2.	श्रीमती पूनम प्रियदर्शनी सिंह एवं श्री संजय जोशी (कर्जदार) ऋण खाता सं. 617077920	31 जुलाई, 2019* को बकाया रु. 53,88,465/–, (केवल तिरपन लाख अठासी हजार चार सौ पैसठ रुपए)	03 सितम्बर, 2019	18 दिसम्बर 2019 (भौतिक)	फ्लैट नं. बी1/1459, 14वीं मंजिल, टॉवर 12 ए, पूर्वांचल रायल सिटी, प्लॉट नं. जीएच–05, सैक्टर सीएचआई–ट, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश निचली भूमि पर अविभाजित आनुपातिक हिस्से के साथ।
3.	श्री शैलेन्द्र कुमार (कर्जदार) ऋण खाता सं. 604865988	31 जुलाई, 2019* को बकाया रु. 29,50,706/–, (केवल उनतीस लाख पचास हजार सात सौ छह रुपए)	03 सितम्बर, 2019	17 दिसम्बर 2019 (प्रतीकात्मक)	फ्लैट नं. 1203, 12वीं मंजिल, टॉवर एसके–3, देविका स्किपर्स, खसरा नं. 1148, नूर नगर, परगना लोनी, राज नगर एक्सटेंशन, एनएच–58, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश और उस पर वर्तमान एवं भविष्य में निर्माण।
4.	श्री दीपक चौधरी एवं सुश्री कमलेश देवी (कर्जदार) ऋण खाता सं. 626788476 और 625397155	30 जून, 2019* को बकाया रु. 8,16,910/–, (केवल आठ लाख सोलह हजार नौ सौ दस रुपए)	22 जुलाई, 2019	17 दिसम्बर 2019 (प्रतीकात्मक)	फ्लैट नं. ए–3252, तीसरी मंजिल, टॉवर नं.–35, ब्लाक नं. 35, दिनेश नगर, एनएच–24, पबलामोदी नगर रोड, पिखुवा, गाजियाबाद निचली भूमि पर अविभाजित आनुपातिक हिस्से के साथ।
5.	श्री पंकज कुमार पाण्डे एवं श्रीमती प्रियंका पाण्डे (कर्जदार) श्री रविन्द्र कुमार (गारंटर) ऋण खाता सं. 601663729	30 जून, 2018* को बकाया रु. 13,36,021/–, (केवल तेरह लाख छत्तीस हजार इक्कीस रुपए)	13 अगस्त, 2018	18 दिसम्बर 2019 (प्रतीकात्मक)	यूजीएफ–डी, एलआईजी, भासिन अपार्टमेंट–2, प्लॉट नं. 1/433, निति खण्ड–1, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश और उस पर वर्तमान एवं भविष्य में निर्माण।

*भुगतान और/या वसूली की तिथि तक लागू ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि के रूप में आगे ब्याज के साथ।

तथापि, उपरोक्त वर्णित कर्जदार/गारंटर बकाया राशि का भुगतान करने में असफल रहें। विशेषतः उपरोक्त वर्णित कर्जदारों/गारंटरों/कानूनी उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों और आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि एचडीएफसी लि. के प्राधिकृत अधिकारियों ने अधिनियम की धारा 13(4) के पठित कथित अधिनियम के नियम 8 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित क्र.सं. 1 और 2 की अचल परिसम्पत्तियों/प्रतिभूत परिसम्पत्तियों पर **भौतिक कब्जा** तथा उपरोक्त वर्णित क्र.सं. 3, 4 और 5 की अचल परिसम्पत्तियों/प्रतिभूत परिसम्पत्तियों पर **प्रतीकात्मक कब्जा** ले लिया है।

विशेषतः उपरोक्त वर्णित कर्जदारों/गारंटरों/कानूनी उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों और आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त दर्शाई गई अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का किसी भी तरह से लेनदेन न करें और कथित अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का कोई भी लेनदेन हाउसिंग डेवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. के अधीन होगा।

प्रतिभूत संपत्ति (संपत्तियां) वापस लेने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में कर्जदारों/गारंटरों/कानूनी उत्तराधिकारियों/कानूनी प्रतिनिधियों का ध्यान कथित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

तैयार पंचनामा और बनाई गई इन्वेंट्री की प्रतियां अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं। कथित कर्जदारों/गारंटरों/कानूनी उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों से आग्रह है कि संबंधित प्रति अधोहस्ताक्षरी से किसी कार्य दिवस में सामान्य कार्य अवधि में प्राप्त कर लें।

कृते हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.
स्थानः दिल्ली
दिनांकः 19.12.2019
ह0/–
प्राधिकृत अधिकारी

पंजीकृत कार्यालयः रेमन हाउस, एच.टी. पारेख मार्ग, 169, बैकबे रीक्लेमेशन, चर्चगेट, मुंबई–400 020

प्रपत्र ए
सार्वजनिक घोषणा
[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

साठी इस्पात लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ
संबंधित विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	साठी इस्पात लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	03/06/1970
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	L27109DL1970PLC005306
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	**पंजीकृत कार्यालयः** सी–220, सावित्री नगर, मालवीय नगर, नई दिल्ली –110017 भारत **कॉर्पोरेट कार्यालयः** ए –2, जीटी रोड के दक्षिण की ओर, इस्पात नगर, गाजियाबाद –201009 यूपी
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	17 दिसंबर 2019 (माननीय एनसीएलटी से आदेश की प्रमाणित प्रति आईआरपी की नियुक्ति के लिए 19 दिसंबर, 2019 को प्राप्त हुई)
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	14/06/2020 (दिवाला संकल्प प्रक्रिया शुरू होने की तारीख से 180वां दिन)
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	**राज कुमार गुप्ता** **पंजीकरण सं.:** IBBI/IPA-002/IP-N00064/2017-18/10142
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई–मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है।	**पताः** एस –203, दूसरी मंजिल, अजनारा टॉवर–1, सविता विहार, नियर योजना विहार, दिल्ली –110092 **ईमेलः** rkgassociat@gmail.com
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेतु प्रयुक्त, पता और ई–मेल	**पताः** एस –203, दूसरी मंजिल, अजनारा टॉवर–1, सविता विहार, नियर योजना विहार, दिल्ली –110092 **ईमेलः** cirp.rathiispat@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	02/01/2020
12.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की 4 उप–धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	लागू नहीं
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु विहित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(क) संबंधित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है :	(क) वेबलिंक : https://ibbi.gov.in/home/downloads (ख) भौतिक पताः लागू नहीं

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण ने दिनांक **17 दिसम्बर 2019** को **साठी इस्पात लिमिटेड** के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है। (प्रमाणित प्रति **19 दिसम्बर 2019** को माननीय एनसीएलटी से प्राप्त हुई)

साठी इस्पात लिमिटेड के लेनदारों से एतद्द्वारा अपने दावों का प्रमाण **02 जनवरी 2020** को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों प्रस्तुत कर सकते हैं।

किसी श्रेणी के साथ सम्बन्धित वित्तीय लेनदार जैसा कि प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष सूचीबद्ध है, अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल्स में से अपनी पसंद का अधिकृत प्रतिनिधि को प्रपत्र सीए (श्रेणी का उल्लेख) में निर्दिष्ट करेगा–लागू नहीं.

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

हस्ता/–
राज कुमार गुप्ता
अंतरिम समाधान प्रोफेशनल
पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00064/2017-18/10142

दिनांक : 19 दिसम्बर 2019
स्थान : नई दिल्ली

प्रपत्र क
सार्वजनिक घोषणा
[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

मैसर्स थ्री सी होम्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ
संबंधित विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	मैसर्स थ्री सी होम्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	06.01.2011
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, नई दिल्ली कम्पनी अधिनियम 1956/2013 के अंतर्गत
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U70101DL2011PTC212252
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	**पंजीकृत कार्यालयः** सी –23 ग्रेटर कैलाश एन्क्लेव, भाग–I, नई दिल्ली –110048 **आर/ओ के अलावा अन्य पते जहां खाता या कागजात की सभी पुस्तकें रखी गई हैं:** टेक बुलेवार्ड, सेंट्रल ब्लॉक, प्लॉट नंबर 6, सेक्टर –127, नोएडा– 201301 यूपी
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	06.09.2019, माननीय एनसीएलटी द्वारा पारित आदेश की तिथि (आईआरपी को आदेश 19.12.2019 को प्राप्त हुए)
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	04.03.2020
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	**गौरव कटियार** IBBI/IPA-001/IP-P00209/2017-18/10409
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई–मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है।	डी –32, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली – 110065 **ईमेलः** cagauravkatiyar@gmail.com
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेतु प्रयुक्त, पता और ई–मेल	डी –32, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली – 110065 **ईमेलः** 3chomes.cirp@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	02.01.2020
12.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की 4 उप–धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत आबंटी
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु विहित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	**1. श्री श्याम अरोड़ा** **आईपी रजि. नंबर:** IBBI/IPA-002/IP-N00546/2017-2018/11703 **पता:** 96, अरावली अपार्टमेंट, अलकनंदा, नई दिल्ली –110019 **ई–मेलः** arora.shyaam@yahoo.com **2. श्री मनोज कुमार सिंह** **आईपी रजि. नंबर:** IBBI/IPA-003/IP-N00050/2017-18/10443 **पता:** 203, दूसरी मंजिल, 10 सिकका कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी सेंटर, प्रीत विहार, दिल्ली–110092 **ई–मेलः** cma.msingh@gmail.com **3. श्री विजय किशोर सक्सेना** **आईपी रजि. नंबर:** IBBI/IPA-001/IP-P01766/2019-2020/12708 **पता:** तीसरी मंजिल, 100 कैलाश हिल्स, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली – 110065 **ई–मेलः** vksaxena2159@gmail.com
14.	(क) संबंधित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है :	वेबलिंक: http://www.ibbi.gov.in/home/downloads https://ibbi.gov.in/ips-register/registered-ips इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (IBBI), 7वीं मंजिल, मयूर भवन, शंकर मार्केट, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली –110001

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण ने दिनांक **06 सितम्बर 2019** को **मैसर्स थ्री सी होम्स प्राइवेट लिमिटेड** के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है। (आईआरपी को आदेश 19.12.2019 को प्राप्त हुए)

मैसर्स थ्री सी होम्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्द्वारा अपने दावों का प्रमाण **02 जनवरी 2020** को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों प्रस्तुत कर सकते हैं।

किसी श्रेणी के साथ सम्बन्धित वित्तीय लेनदार जैसा कि प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष सूचीबद्ध है, अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल्स में से अपनी पसंद का अधिकृत प्रतिनिधि को प्रपत्र सीए (रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत आबंटी) में निर्दिष्ट करेगा।

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

हस्ता/–
अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का नाम व हस्ताक्षर : **गौरव कटियार**
पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00209/2017-18/10409

दिनांक : 19 दिसम्बर 2019
स्थान : नई दिल्ली